म की तामील
हुक्म जा...

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 53 / 2020

राधाकिशन पुत्र श्री मौहर सिंह जाति बघेल निवासी बझेरा तहसील व जिला भरतपुर
.......अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक

.........रेस्पो.

अपील बनाराजी फेसला नायब तहसीलदार भरतपुर दिनांक 11–1–2021 मुकदमा नम्बर 53 / 2020 उनवानी सरकार बनाम राधकिशन नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट बाबत आराजी खसरा नम्बर 775 रकवा 0.92 है0 में से 0.02 हैक्टर बाके ग्रांम बझेरा।

——————

उपस्थित :–

1–श्री हनुमानप्रसाद गोयल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 7.4..2022**

अपीलान्ट ने यह अपील रेस्पो के विरुद्ध व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार भरतपुर निर्णय दिनांक 11.1.2021 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में आराजी खसरा नम्बर 775 / 0.92 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता बाके ग्रांम बझेरा में से 0.02 है0 पर अपीलान्ट द्वारा किये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने एवं शास्ति कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है। जिस से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील हमारे समझ पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो की तलबी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई। तहसील भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली के साथ नत्थी की गई।

योग्य अभिभाषक ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिज के

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

है। अपीलान्ट को रजिस्टर्ड पट्टा विलेख ग्रांम पंचायत रुध इकरन दिनांक 5.7.2005 दिया गया है। मुताबिक पट्टा अभिलेख मकान का निर्माण किया गया था, मकान निर्माण काफी पुराना है। योग्य अभिभाषक का तर्क है ग्रांम पंचायत ने नियम 157 राजस्थान पंचायती राज0अधिनियम 1996 के तहत पट्टा जारी किया है। तहत न्यायालय ने फिर भी अपीलान्ट को अतिकमी माना है जो गलत है। केवल पट्टा में खसरा नम्बर अंकित नहीं है इस लिए अतिकमी माना गया है जव कि इस सम्बन्ध में तहत न्यायालय ने ग्रांम विकास अधिकारी ग्रांम पंचायत रुधं इकरन से जारी पट्टा के सम्बन्ध में खसरा नम्बर या आबादी का है के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की गई थी। ग्रांम पंचायत की रिपोर्ट आये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण नायव तहसीलदार को जांच हेतु रिमान्ड किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर मकान बनाकर अतिकमण किया है जो नियमों के विरुद्ध है। अपीलान्ट ने जो पट्टा तहत न्यायालय में पेश किया है उसमें कोई खसरा नम्बर नहीं है जिससे यह पता नहीं चलता है कि यह पट्टा आबादी में दिया गया है और कहॉ। तहत न्यायालय को अतिकमी को बेदखल करने नियमों के तहत अधिकार है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.1.21 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर पक्का मकान बनाकर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने ग्रांम पंचायत का जो कथित पट्टा अभिलेख पेश किया है उसमें खसरा नम्बर अंकित नहीं होने से यह पता नहीं लगता है कि ग्रांम पंचायत ने यह कथित पट्टा किस भूमि पर और कहॉ दिया गया है। तहत न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 4.1.2021 के अवलोकन से जाहिर है कि कथित पट्टा अभिलेख में खसरा नम्बर अंकित नहीं होने पट्टा किस आराजी से सम्बन्ध किस खसरा का है के वावत तहत न्यायालय ने ग्रांम पंचायत रुंध इकरन से रिपोर्ट तलब किये जाने की आज्ञा देते हुये आगामी तारीख दिनांक 11.1.2021 नियत की गई है। नियत दिनांक आदेशिका दिनांक 11.1.21 में अपीलान्ट को अनुपस्थित दर्ज करते हुये बिना कोई साक्ष्य जवाव लिये, ग्रांम पंचायत रुंध इकरन का कोई प्रत्युत्र लिखित में नहीं आना मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। ऐसा अपीलाधीन प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के खिलाफ है। तहत न्यायालय के पत्रावली के आदेशिकाओ के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व प्रकरण अपीलान्ट / अप्रार्थी के

......3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

जबाब साक्ष्य में लगाया गया था उसके वाद रिपोर्ट ग्रांम पंचायत रुधं इकरन तलब करने के आदेश दिये गये थे। परन्तु तहत न्यायालय ने विना ग्रांम पंचायत की रिर्पोट या जबाब आये अपीलाधीन आदेश इकतरफा में पारित कर दिया गया है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को भी जबाब साक्ष्य सबूत वगे. पेश करने का मोका नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। प्रकरण को नायव तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं कि वे ग्रांम पंचायत से रिर्पोट तलब करें तथा अपीलान्ट को जबाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का अन्दर 30 दिवस मे निस्तारण करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.1.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण नायव तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे ग्रांम पंचायत रुंध इकरन से रिपोर्ट तलब करें तथा अपीलान्ट को जबाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का अन्दर 30 दिवस पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 7.4.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर